2017 का विधेयक संख्यांक 218

[दि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

धारा 2 का संशोधन।

1994 का 10

2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (क) लोप किया जाएगा।

धारा 19 का लोप।

3. मूल अधिनियम की धारा 19 का लोप किया जाएगा।

धारा 30 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 30 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

मानव अधिकार न्यायालय।

''30. मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अधिसूचना द्वारा, उक्त अपराधों के विचारण के लिए प्रत्येक जिले के लिए मानव अधिकार न्यायालय के रूप में एक विशेष न्यायालय स्थापित करेगी।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम, निस्संदेह, वर्तमान समय की मांग पूरी करता है तथा सभी प्रकार के मानवाधिकार उल्लंघन का ध्यान रखता है। तथापि, इस अधिनियम में दो बड़ी कमियां हैं जो इसको अपने आशयित प्रभाव से कम प्रभावकारी बना सकती हैं। पहली कमी वह विशेष प्रक्रिया है जो इस अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघनों की शिकायतों से निपटने में आयोग द्वारा अपनायी जाएगी। आयोग को सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए गए अपराधों का अन्वेषण या विचारण करने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि सशस्त्र बलों के सदस्य निहित स्वार्थों द्वारा द्वेषपूर्ण आक्रमण का निशाना बन सकते हैं और चूंकि सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए विहित विशेष प्रक्रिया, मूल रूप से, इस विधान की भावना के विरुद्ध है, इसलिए यह उचित होगा कि सशस्त्र बलों को भी आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन लाया जाए तथा सशस्त्र बलों से संबंधित विशेष प्रक्रिया का त्याग किया जाए।

दूसरी कमी इस कानून के अंतर्गत अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का विवेक आधारित उपबंध करना है। चूंकि इन अपराधों पर कार्रवाई विशेष रीति से की जा रही है, इसलिए साधारण न्यायालय प्रभावहीन तथा अधिक समय लेने वाले होंगे जो कानून के उद्देश्य के विपरीत होगा। इसलिए, इस विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि राज्य सरकारों के लिए मानवाधिकारों के अतिक्रमणों से उद्भूत होने वाले अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों की स्थापना करना बाध्यकारी बनाया जाए।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

नई दिल्ली;
28 नवम्बर, 2017
7 अग्रहायण, 1939 (शक)

उदित राज

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अधिसूचना द्वारा, मानवाधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष न्यायालयों की स्थापना पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। जहां तक राज्यों का संबंध है, विशेष न्यायालयों की स्थापना पर व्यय संबंधित राज्यों की संचित निधियों में से किया जाएगा। तथापि, केन्द्रीय सरकार को विशेष न्यायालयों की स्थापना में राज्य सरकारों की सहायता करनी पड़ सकती है।

इसलिए विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। इस पर प्रति वर्ष लगभग पच्चीस लाख रुपए का आवर्ती व्यय होने की संभावना है।

इस पर भारत की संचित निधि में से लगभग दस लाख रुपए का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

उपाबंध

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में से उद्धरण
(1994 का 10)

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''सशस्त्र बल'' से नौसेना, सेना और वायुसेना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल है;

* * * * *

सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया।

19. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, आयोग, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात्:—

(क) आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा;

(ख) रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, आयोग, यथास्थिति, शिकायत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को तीन मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे, सूचित करेगी।

(3) आयोग, केन्द्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

(4) आयोग, उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति, अर्जीदाता या उसके प्रतिनधि को उपलब्ध कराएगा।

* * * * *

अध्याय 6

मानव अधिकार न्यायालय

मानव अधिकार न्यायालय।

30. मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा, उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए, प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी:

परन्तु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी, जब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए—

(क) कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट है; या

(ख) कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है।

* * * * *

लोक सभा

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

MGIPMRND—2847LS(S3)—18.12.2017.